भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2975

बुधवार, 20 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की रिपोर्ट

2975. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:
श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 2021 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि 50 प्रतिशत से अधिक ई-कॉमर्स साइटों ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए डार्क पैटर्न, का उपयोग किया और लाभ अर्जित किया जो अक्सर कई देशों के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के योग से अधिक होता है और इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए देश के अब तक के प्रयास टैक्स लीकेज को रोकने, ब्रिक एंड मोर्टार व्यापारियों के हितों की रक्षा करने और उपभोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित करने तक ही सीमित रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ई-कॉमर्स साइटों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यक्तिगत डेटा के संबंध में निजता की रक्षा करने की आवश्यकता है ताकि प्रयोक्ताओं के विश्वास को बढ़ाया जा सके और एक सुरक्षित, मुक्त और निष्पक्ष डिजिटल वातावरण सुनिश्चित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। और आज की तारीख के अनुसार क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख): डार्क पैटर्न में डिजाइन और चॉइस आर्किटेक्चर का इस प्रकार इस्तेमाल शामिल है ताकि उपभोक्ता को धोखे से, विवश अथवा प्रभावित करके उन विकल्पों का चयन करवाया जाए जो उनके सर्वश्रेष्ठ हित में नहीं हैं। डार्क पैटर्न में कई तरह के चालाकीपूर्ण तरीके शामिल हैं, जैसे कीमतें कम करना, धोखाधड़ी वाले विज्ञापन देना, कम कीमत का लालच देकर खराब सामान देना, गलत तरीके से जल्दबाजी मचाना आदि।

ये पद्धतियां, 'अनुचित व्यापार पद्धतियों' के तहत आती हैं जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत परिभाषित है। डार्क पैटर्न को रोकने और नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 नवंबर, 2023 को 'डार्क पैटर्न के निवारण और

विनियमन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, 2023' जारी किए हैं, जिसमें 13 विनिर्दिष्ट डार्क पैटर्न सूचीबद्ध हैं।

उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स के क्षेत्र में अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-कॉमर्स कंपनियों के उत्तरदायित्वों की रूप-रेखा प्रदान की गई है तथा मार्केटप्लेस और इन्वेंटरी ई-कॉमर्स कंपनियों के दायित्वों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनमें उपभोक्ताओं के शिकायत समाधान संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) : ई-कॉमर्स साइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर, जिसमें अन्य प्रकार के डेटा फिडुश्यरी शामिल हैं, व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इस उद्देश्य से, 11 अगस्त, 2023 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपी अधिनियम 2023) को अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की इस प्रकार प्रोसेसिंग करने का प्रावधान करता है जिससे लोगों का व्यक्तिगत डेटा भी अधिकार के तौर पर सुरक्षित रह सके तथा डेटा फिडुश्यरी भी ऐसे व्यक्तिगत डेटा को विधिसम्मत रूप से प्रयोग कर सके।

यह अधिनियम व्यक्तिगत डेटा के उल्लंघन को रोकने के लिए यथोचित सुरक्षोपाय अपनाकर डेटा फिडुश्यरी के अधिकार में अथवा इसके नियंत्रणाधीन व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण का दायित्व डेटा फिडुश्यरी को ही सौंपता है। इसके अलावा, ऐसे किसी उल्लंघन के मामले में डेटा फिडुश्यरी को डेटा संरक्षण बोर्ड और संबंधित डेटा प्रिंसिपल को सूचित करना होगा। साथ ही, यदि बोर्ड अपनी जांच के बाद यह तय करता है कि ऐसे डेटा फिडुश्यरी द्वारा किया गया कोई उल्लंघन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण स्वरूप का है तो बोर्ड डेटा फिडुश्यरी को सुनवाई का अवसर देकर उस पर मौद्रिक पेनल्टी लगा सकता है।

*****